छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 81 (App.) / बिलासपुर, दिनांकः 20 नवम्बर, 2020

II-14-1/2018 (Hard.Eng.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर **श्री अनुपम डुंगडुंग, आत्मज श्री तरसीतियुस डुंगडुंग, मिलान चौक, टेगोर कॉलोनी, जशपुर (छ.ग.) पिन–496331** को अनारक्षित पद के विरूद्ध रिक्त **हार्डवेयर इन्जीनियर (Hardware Engineer)** के पद पर पे मेट्रिक्स के लेवल–10 (43200-136500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से **3 वर्ष** की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त किया जाता हैः–

(1) परिवीक्षा अवधि पर उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में उक्त चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का क्रमशः 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा परन्तु उक्त परिवीक्षा अवधि में उन्हें स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर एवं उन्हें सेवा या पद पर स्थाई किये जाने के पश्चात् उनका वेतन उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जावेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हे परिवीक्षा पर माना जायेगा।

(3) परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।

(4) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हे सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हे नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(5) उन्हें दिनांक 07.12.2020 तक अनिवार्य रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।

(6) **वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगें जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।**

(7) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में यह नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जा सकेगा।

(8) उन्हे अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में यह नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

20-11-2020